Australian Government
Department of Home Affairs

COVID-19 का परीक्षण और उपचार

यदि आपके पास वीज़ा नहीं है, या यदि आप अपने वीज़ा की स्थिति के बारे में अनिश्चित हैं, तो आपके लिए यह आवश्यक है कि आप जनस्वास्थ्य निर्देशों का पालन करें। यदि आप अस्वस्थ महसूस कर रहे/रही हैं, तो चिकित्सीय सलाह लें और COVID-19 का परीक्षण करवाएँ।

राज्य और राज्य-क्षेत्रों की सरकारें निःशुल्क COVID-19 परीक्षण और उपचार उपलब्ध करा रही हैं।

- ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र
- न्यू साउथ वेल्स
- उत्तरी राज्य-क्षेत्र
- क्वींसलैंड
- दक्षिण ऑस्ट्रेलिया
- तस्मानिया
- विक्टोरिया
- पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया

विक्टोरिया में आव्रजन चिकित्सीय (Immigration Medical) परीक्षण

COVID-19 से संबंधित आगे के प्रतिबंधों के कारण विक्टोरिया में सभी आव्रजन चिकित्सीय परीक्षण (Immigration Medical Examinations)अस्थायी रूप से स्थगित कर दिए गए हैं। आगे की जनस्वास्थ्य घोषणाओं के आधार पर इसकी समीक्षा की जाएगी।

मेरे पास ब्रिजिंग वीज़ा [Bridging Visa] है

मेरे पास ब्रिजिंग वीज़ा ए, बी या सी है

यदि आपके पास ब्रिजिंग वीज़ा ए, बी या सी [Bridging visa A, B or C] है, तो इससे आपको अपने वर्तमान वीज़ा आवेदन का प्रसँस्करण या इसकी समीक्षा किए जाने की अवधि तक ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित रहने की अनुमति मिलेगी। यदि आपका कोई आव्रजन निर्णय या समीक्षा अपूर्ण नहीं है *और* आप ऑस्ट्रेलिया छोड़कर नहीं जा सकते/सकती हैं, तो आपको वैध बने रहने के लिए नए वीज़ा का आवेदन करना चाहिए।

यदि आप ब्रिजिंग वीज़ा ए या सी धारक हैं और आप ऑस्ट्रेलिया छोड़कर चले जाते/जाती हैं, तो आपका ब्रिजिंग वीज़ा ए या सी समाप्त हो जाएगा। यदि आप भविष्य में ऑस्ट्रेलिया वापिस आने के इच्छुक होंगे/होंगी, तो आपको वापस आने की अनुमति पाने हेतु दूसरे वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा। इसके विकल्पस्वरूप में ब्रिजिंग वीज़ा ए धारक ऑस्ट्रेलिया छोड़ने से पहले ब्रिजिंग वीज़ा बी के लिए आवेदन करने पर विचार कर सकते हैं।

- ब्रिजिंग वीज़ा बी के आवेदनों का प्रसंस्करण किया जाना जारी है। यात्रा प्रतिबंध हटाए जाने तक ब्रिजिंग वीज़ा बी धारकों को ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश से वंचित रखा जाएगा, जब तक उन्हें अपवाद प्राप्त न हो। यात्रा प्रतिबंध और अपवाद के बारे में अधिक जानकारी के लिए वेबपेज आस्ट्रेलिया में आगमन देखें।

मेरे पास ब्रिजिंग वीज़ा ई है

ब्रिजिंग वीज़ा ई आपको ऑस्ट्रेलिया में तब तक रहने की अनुमति देगा जब तक कि आपः

- अपने प्रस्थान की व्यवस्था कर रहे/रही हैं
- आव्रजन निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे/रही हैं ।

यदि आपकी पदस्थिति अवैध हो गई है और आप किसी अन्य वीज़ा के लिए आवेदन नहीं कर सकते/सकती हैं, तो यथाशीघ्र ब्रिजिंग वीज़ा ई के लिए आवेदन करने से आपको ऑस्ट्रेलिया में वैध पदस्थिति प्राप्त हो पाएगी ताकि आप यथाशीघ्र प्रस्थान के लिए व्यवस्था कर सकें।

यदि आप ब्रिजिंग वीज़ा ई धारक हैं लेकिन इसके समाप्त होने से पहले ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान नहीं कर सकते/सकती हैं, तो आपको वैध बने रहने के लिए दूसरे ब्रिजिंग वीज़ा ई का आवेदन करना होगा।

- आप ImmiAccount के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते/सकती हैं।
- यदि आपके पास ImmiAccount नहीं है, तो आप ईमेल द्वारा या पेपर फॉर्म डाक से भेजकर आवेदन कर सकते/सकती हैं (फॉर्म 1008 - ब्रिजिंग वीज़ा ई के लिए आवेदन - उपवर्ग 050)

जो व्यक्ति अवैध गैर-नागरिक या ब्रिजिंग वीज़ा, डी, ई या एफ धारक के रूप में ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान करते हैं, उन्हें कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में वापिस प्रवेश करने से प्रतिबंधित रखा जा सकता है और यह भविष्य में उनके द्वारा किये गए वीज़ा आवेदनों को प्रभावित कर सकता है:

- पुनःप्रवेश पर प्रतिबंध के बारे में और अधिक जानकारी यहाँ उपलब्ध है: पुनःप्रवेश पर प्रतिबंध

ब्रिजिंग वीज़ा पर कार्य करना

आपको अपने ब्रिजिंग वीज़ा की शर्तों के आधार पर ऑस्ट्रेलिया में काम करने की अनुमति दी जा सकती है। आप इन तरीकों से जाँच कर सकते/सकती हैं:

- VEVO सेवा का उपयोग करके, या
- अपने ImmiAccount पर अपने वीज़ा की शर्तें देख करके।

यदि आपका ब्रिजिंग वीज़ा आपको काम करने की अनुमति नहीं देता है या आपके काम करने पर प्रतिबंध लगाता है, तो आप काम करने की अनुमति देने वाले दूसरे ब्रिजिंग वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते/सकती हैं । यह सुविधा केवल कुछ परिस्थितियों में ही उपलब्ध है और आमतौर पर इसके लिए आपको यह प्रदर्शित करना होगा कि आपको आर्थिक कठिनाई हो रही है।

यदि आप कार्य की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते/करती हैं और आप अभी भी ब्रिजिंग वीज़ा के लिए पात्र हैं, तो हम आपको पिछले ब्रिजिंग वीज़ा की शर्तों के समान शर्तों के साथ नया ब्रिजिंग वीज़ा प्रदान करेंगे।

शीघ्र समाप्त होने वाले ब्रिजिंग वीज़ा

यदि आपका वीज़ा समाप्त होने वाला है और यदि आप सक्षम हैं, तो आपको यथाशीघ्र अपने गृह-देश वापिस जाने पर विचार करना चाहिए, विशेषकर यदि आपके पास परिवार का समर्थन नहीं है।

अगले छह महीनों में स्वयं का समर्थन करने में असक्षम अस्थायी वीज़ा धारकों को यथाशीघ्र अपने गृहदेश वापिस जाने के लिए व्यवस्था करने की पुरजोर सलाह दी जाती है।

यदि आप ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान नहीं कर सकते/सकती हैं, तो आपको वैध वीज़ा बनाए रखने की आवश्यकता होगी। जब यात्रा प्रतिबंध हटा दिए जाएंगे, तो आपसे ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान करने की उम्मीद की जाएगी।

और अधिक जानकारी के लिए देखें: आपका वीज़ा समाप्त होने वाला है या समाप्त हो गया है

यदि आप ऑस्ट्रेलिया से बाहर हैं और आपके वीज़ा की वैधता समाप्त होने से पहले आप प्रवेश करने में असमर्थ हैं, तो आपको ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने हेतु नए वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा तथा आपको नया वीज़ा प्राप्त करना होगा।

वीज़ा की वैधता-अवधि बढ़ाना संभव नहीं है। ऑस्ट्रेलिया से बाहर रहने के दौरान ब्रिजिंग वीज़ा बी (बीवीबी) के लिए वैध आवेदन करना या बीवीबी प्रदान किया जाना संभव नहीं है।

समर्थन सेवाएँ

यदि आप अपनी वीज़ा स्थिति का समाधान नहीं कर सकते/सकती हैं, तो घरेलू मामले विभाग की स्थिति समाधान सेवा (एसआरएस) [Department of Home Affairs' Status Resolution Service (SRS)] सहायता कर सकती है।

और अधिक जानकारी यहाँ उपलब्ध है: स्थिति समाधान सेवा

एसआरएस [SRS] के अधिकारी आपके वीज़ा विकल्पों के बारे में समझा सकते हैं और आपको यह बता सकते हैं कि इस समय आपके द्वारा लिए गए निर्णय बाद में आपके विकल्पों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। वे ऑस्ट्रेलिया से आपके प्रस्थान की योजना बनाने में आपकी सहायता कर सकते हैं, और आपको अन्य सेवाओं के प्रति आवश्यकतानुसार निर्दिष्ट भी कर सकते हैं।

असाधारण परिस्थितियों में, विभाग की स्थिति समाधान सेवा पात्र व्यक्तियों को ऑस्ट्रेलिया से प्रस्थान करने में मदद दे सकती है। विभाग अपने वापसी सहायता कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के लिए सेवा प्रदाताओं के रूप में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईओएम) [International Organisation for Migration (IOM)] और सर्को (होमवर्ड) को अनुबंधित करता है।

वापसी सहायता पात्र प्राप्तकर्ताओं को एक या एक से अधिक समर्थनों का संयोजन प्रदान कर सकती है, जिसमें शामिल हैं:

- निष्पक्ष वापसी परामर्श
- हवाईजहाज का टिकट
- यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता

- वापसी के देश में स्वागत सहायता
- अंतिम गंतव्य देश की यात्रा में सहायता।

वापसी सहायता की पात्रता के लिए आवश्यक है कि:

- आप एक गैर-नागरिक हैं
- आपके पास ऑस्ट्रेलिया में दोबारा प्रवेश करने की अनुमति देने वाला वीज़ा नहीं है
- आप स्वेच्छा से अपने मूल-देश या किसी ऐसे देश में वापिस जाने का चयन करते/करती हैं, जहाँ आपको प्रवेश और निवास करने का अधिकार प्राप्त है
- आप स्वयं वापिस जाने के लिए अपने पास धन की अनुपलब्धता प्रदर्शित करते/करती हैं।

और अधिक जानकारी यहाँ उपलब्ध है: प्रस्थान करने में सहायता

स्थिति समाधान समर्थन सेवाएँ (एसआरएसएस) [Status Resolution Support Services (SRSS)] ऐसे कुछ गैर-नागरिकों को समर्थन प्रदान करती है, जो अपनी आव्रजन स्थिति के निर्धारण की अवधि में अस्थायी रूप से ऑस्ट्रेलियाई समुदाय में उपस्थित रहते हैं। एसआरएसएस [SRSS] कार्यक्रम ऐसे लोगों को अल्पकालिक, सुसंगत समर्थन प्रदान करता है, जो अपनी आव्रजन स्थिति के समाधान के लिए घरेलू मामले विभाग [Department of Home Affairs] के साथ संलग्न होने के दौरान खुद को समर्थित करने में सक्षम नहीं हैं। यह एक लगातार प्राप्त होने वाला कल्याण अधिकार [welfare entitlement] नहीं है।

कार्य के अधिकार की अनुमति वाले ब्रिजिंग वीज़ा धारकों से, जिनके पास काम करने कि क्षमता है, यह उम्मीद की जाती है कि वे अपनी आव्रजन स्थिति की समाधान प्रक्रिया की अवधि के दौरान खुद को समर्थित करेंगे।

COVID-19 अवधि के दौरान एसआरएसएस [SRSS] के अंतर्गत समर्थन के आवेदनों का आकलन प्रत्येक मामले के ऊपर अलग-अलग विचार करके किया जाएगा।

अधिक जानकारी यहाँ उपलब्ध है: स्थिति समाधान समर्थन सेवाएँ